

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 241]

नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 मई 2026 — वैशाख 25, शक 1948

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 15 मई 2026

अधिसूचना

क्रमांक RULE-8/82/2026-REVENUE/7-1.— छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्र. 7 सन् 2004) की धारा 2 के खण्ड (क) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अधिकृत करती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण कुमार मरकाम, उप-सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 15th May 2026

NOTIFICATION

No. RULE-8/82/2026-REVENUE/7-1.— In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 2 of the Chhattisgarh Underground Pipelines (Acquisition of Rights of User in Land) Act, 2004 (No. 7 of 2004), the State Government, hereby, authorizes the Sub-Divisional Officer (Revenue) to perform the functions of the Competent Authority under the said Act.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ARUN KUMAR MARKAM, Deputy Secretary.